

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-595/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(190)-2021

लखनऊ: दिनांक: 29 जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उपनियम(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफ़ारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या-428/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(106)-2020 दिनांक 30 अप्रैल, 2020, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में प्रथम पैरा में शब्द के सिवाय ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, के पश्चात शब्द "एक सरकारी विभाग, एक स्थानीय निकाय," बढ़ा दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जून, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव